"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017—— भाद्रपद 10, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 24-7/2005/20-3/पार्ट. —— राज्य शासन छात्र दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एतद्‌द्वारा नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

1. **नियम 5 बीमा का क्षेत्र - इस नियम के नीचे निम्नलिखित उप नियम 5-क जोड़ा जाता है :-**
   5-क दुर्घटना का आशय :- "दुर्घटना" से आशय ऐसी घटना से है जो अप्रत्याशित रूप से घटित हुई हो व जानबूझकर कारित न की गई हो तथा जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हुई हो अथवा वह घायल हुआ हों.

2. **नियम 6 दावे की राशि** - इस नियम अंतर्गत में वर्णित पंक्तियों को स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियों को स्थापित किया जाता है :-

   योजना के अंतर्गत दावों का भुगतान कार्पस निधि की राशि से निम्नानुसार किया जायेगा :-

(क)	किसी भी परिस्थिति में प्रति छात्र/छात्रा दावे की अधिकतम राशि	रु.	1,00,000/-
(ख)	दुर्घटना जनित मृत्यु होने पर	रु.	1,00,000/-
(ग)	दुर्घटना जनित 100 प्रतिशत स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर	रु.	1,00,000/-
(घ)	दुर्घटना जनित किन्ही दो अंगों, दोनों आंखों या एक अंग और एक आंख की क्षति होने पर	रु.	1,00,000/-
(ङ)	दुर्घटना जनित एक अंग या एक आंख की पूर्ण क्षति होने पर	रु.	50,000/-
(च)	उपर्युक्त के अलावा अन्य दुर्घटनाजनित कारणों से स्थायी पूर्ण अपंगता	रु.	1,00,000/-
(छ)	दुर्घटनोपरांत चिकित्सकीय/अस्पतालीय व्यय प्रतिपूर्ति (अधिकतम देय प्रति छात्र/छात्रा)	रु.	25,000/-

No. F 24-7/2005/20-3/Part. — State Government males the following amendment in rules for the implementation of Student Safety Insurance Scheme namely :-

1. **Rule-5 Area of Insurance coverage - The following sub rule 5-a is added below the rule** :-
5-a - Meaning of accident - 'Accident' means such event that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in death or injury to the person concerned.

2. **Rule-6 The Amount of Claim** - In place of the existing amount of the claim, the following may be substituted :-
The Claims under the scheme will be paid by the amount of the Corpus fund as follows :-

(a)	Maximum amount of claim per student under any circumstance	Rs 1,00,000/-
(b)	Death due to accident	Rs 1,00,000/-
(c)	100 percent complete permanent disability due to accident	Rs 1,00,000/-
(d)	Loss of two organs, both eyes, or one organ and one eye due to accident	Rs 1,00,000/-
(e)	Complete loss of one organ or one eye due to accident	Rs 50,000/-
(f)	Complete permanent disability due to accidental causes other than above	Rs 1,00,000/-
(g)	Reimbursement of Medical/Hospital expenses after accident (Maximum payable per student)	Rs 25,000/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप भटनागर, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.